VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 14 SEP 2024 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2364)

Name of Candidate	S.K. Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	**Registration Number**	74007
Center	M.N.	**Date**	13/9/24

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	**Strongly Recommended**

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the criticisms faced by the Enforcement Directorate (ED) in fulfilling its mandate of investigating offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

प्रवर्तन निदेशालय की लगभग 5% की दोषसिद्धि दर व राजनीतिक मामलों में पक्षपात का आरोप उसकी कार्यप्रणाली पर चिंता पैदा करता है।

PMLA 2002 व संशोधन 2012 तथा FEMA कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय को जांच, गिरफ्तारी की शक्ति प्राप्त है।

अधिदेश को पूरा करने में आलोचनाएँ

① पक्षपात - सत्ताधारी दल के अनुरूप केवल विपक्षी दलों की गिरफ्तारी व कार्यवाही।

② गैर-जरूरी गिरफ्तारी - छवि खराब

करने व राजनीति प्रेरित होना

गैर-जरूरी गिरफ्तारी
↳ दोष सिद्ध व अस्पष्टता

(3) PMLA प्रावधान की अस्पष्ट व दुरूह भरी परिभाषाएँ → दुरुपयोग आशंका

(4) गिरफ्तारी पर जमानत नहीं व आरोपित को ही निर्दोष साबित करना होता है

(5) अपारदर्शिता व प्रक्रियागत स्पष्टता का अभाव।

(6) चुनावों के समय निशाने में रहना

संभावित कारण:
- धनशोधन जटिलता
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- मीडिया से बढ़ाचढ़ाकर मामलों को दिखाना
- कानून में कमियां
- संसाधन अभाव

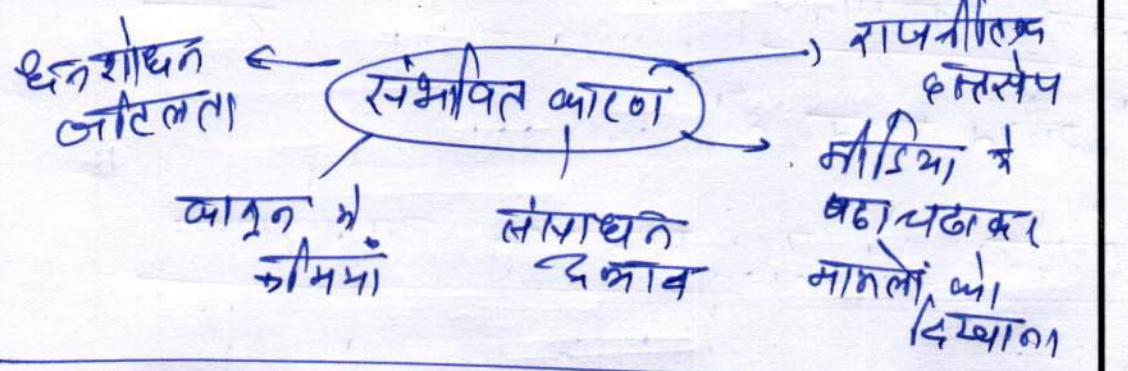

फलतः ED को नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक स्वायत्त व स्वतंत्र सहित पारदर्शी व औचित्यपूर्ण कार्यप्रणाली युक्त बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (DRSCs), जिन्हें 'मिनी पार्लियामेंट' भी कहा जाता है, अपने कार्यों को करने में प्रभावी क्यों नहीं रही हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Why are the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs), also known as 'Mini Parliament', not effective in carrying out their functions? (Answer in 150 words) 10

विभागों संबंधी स्थायी समितियाँ कुल 24 समितियाँ हैं जो अपने-2 मंत्रालय की अनुदान मांग, बजट सहित कार्यों की जाँच करती है व सुझाव देती है। कार्यपालिका उत्तरदायित्व निर्धारण निकाय मूल काम है।

उदा० - विदेश मामलों की DRSC ने 'PRAYAS' योजना व ICCR को सशक्त बनाने का सुझाव दिया।

'मिनी संसद' कही जाने वाली ये समितियाँ प्रभावी नहीं रही क्योंकि :-

1. राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में कार्य करना न कि जनप्रतिनिधि के रूप में
2. सलाहकारी सुझाव न कि बाध्यकारी
3. धीमी जाँच कार्य → खानापूर्ति मात्र
4. सांसदों में अज्ञान व समर्पित क्षमता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का अभाव

(5) क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली को संसद की तरह जिम्मेदार बनाने वाली होती है।

↳ परस्पर टकराव → अतिव्याप्ति

यद्यपि कुछ समितियों ने प्रभावी सिफारिशें दी हैं जिनकी संसद द्वारा युक्तिसंगत पालना भी की है। जैसे:— DRE मामलों पर DRSC ने पंचायतों को 95% अनुदान आधारित रहने पर चिंता व्यक्त की व संसाधन बढ़ाने पर सुझाव।

फलत: DRSC को अधिक

- अधिक समय
- प्रशिक्षण
- तकनीकी ज्ञान
- उत्तरदायित्व
- जवाबदेही

के साथ लागू कर व CAG और परामर्श द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the similarities and differences with regard to the separation of powers in India, USA, and UK? (Answer in 150 words) 10

मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों के सदस्य व शक्तियों/कार्यों में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए।

भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में अंतर है –

(1) अमेरिका में पूर्ण शक्ति पृथक्करण जबकि भारत में लचीला पृथक्करण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी लचीले पृथक्करण को मूल संरचना का भाग बताया है।

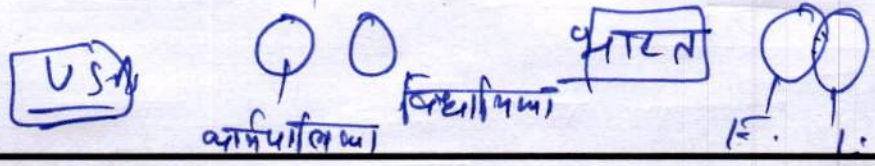

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② न्यायपालिका के लिए यह भारत के भी समान पृथक्ता विद्यमान।

③ भारत में दोहरी सदस्यता का सिद्धांत कार्यपालिका व विधायिका को जोड़ता है।

ब्रिटेन में भी भारत की ही तरह है लेकिन अमेरिका में अलग-2 व्यवस्था है।

④ कार्यों के लिए यह भारत में नियंत्रण व संतुलन का पालन होता है।

हस्तक्षेप संभव → eg → न्यायिक सक्रियता (NJAC)
↳ UNCTD Act 2021 द्वारा न्यायिक फैसला बदलना।
↳ USA में पूर्ण पृथक्ता व UK में संसद सर्वोच्चता है।

समानताएँ :- ① शक्ति पृथक्ता सिद्धांत

② भारत व USA में न्यायपालिका सर्वोच्चता

③

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तथापि राज्य सरकारें स्वयं ही अपने समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Though measures adopted by the Central government have impacted state finances, the state governments themselves are mainly responsible for the financial challenges they face. Discuss. (Answer in 150 words) 10

पँजाब, तेलंगाना सहित कई राज्यों पर बढ़ा ऋण का बोझ CAG की रिपोर्ट में चिंता को व्यक्त करता है।

खराब वित्तीय दशा के कारण :

केंद्र सरकार के उपाय

(1) GST → कर की क्षति
→ मात्र SGST राज्यों को प्राप्त

(2) करों के निर्धारण की शक्ति केंद्र

(3) सेस व उपकर जो 20% कुल राजस्व का है वो न बांटना

(4) समय पर धन अंतरण न होना।

(5) केंद्र प्रायोजित योजना मे राज्य की कोई रोल नहीं लेकिन 60:40 / 50:50 में व्यय भार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ट्विन रोगों की भूमिका? .

1) क्रेडिट का बढ़ना
2) ग्रामीण मांग
2) मुद्रास्फीति
3) आधारभूत संरचना नीति
4) निवेश सुधार न सफल
5) उत्पादन में गिरावट
6) पॉलिसी पैरालिसिस
7) मात्र राजनीति प्रेरित ऋण
8) सरकारी बैंकों का गवर्नेंस
9) Off-बजट उधारी द्वारा वित्तपोषण

अतः रोगों सहित पेड़ को आधारभूत संरचना व वित्त नीति द्वारा 60% से 1980-2000 तक को पूरा किया जाना चाहिए।

Q5. हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार जीवन और समानता के अधिकार से संबद्ध है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India recently recognised that the right against the adverse impacts of climate change is intertwined with the right to life and equality. Discuss the role played by the judiciary in constitutionalization of environmental issues. (Answer in 150 words) 10

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर Art 14 व Art 21 आरोपित कर पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानीकरण को विस्तार दिया है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानीकरण से तात्पर्य पर्यावरण मामलों की संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप व्याख्या तथा समावेश करने से है।

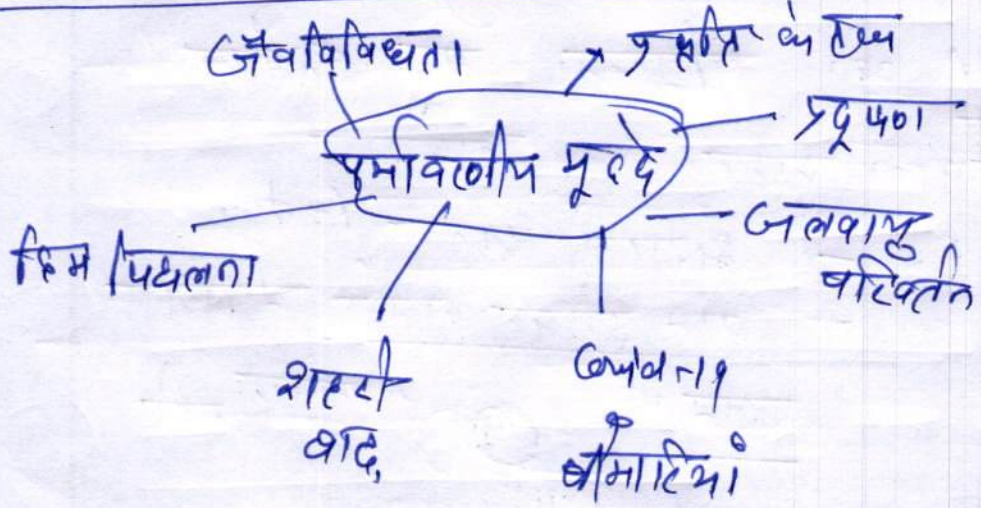

न्यायपालिका की भूमिका :—

① 'उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय' द्वारा गंगा नदी को जीवित जीव का दर्जा।

② 'PETA' जैसे संगठनों के माध्यम से पशु अधिकारों की उदार व्याख्या।

③ जीवन के अधिकार में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल का अधिकार

④ NGT की NGT द्वारा स्थापना व पर्यावरण वादों की व्याख्या
Ex – "Art of Living केस"

⑤ EIA की सक्रियता व अवैध पर्यावरण दोहन पर आदेश
Ex – अरावली खनन निषेध
– ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण

फलतः :   पर्यावरण की

विकास

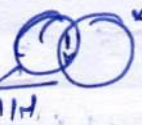

संतुलित न्यायिक व्याख्या धारणीयता को बढ़ाती।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संघ भारत में SHGs को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार के रूप में उभरे हैं। विवेचना कीजिए। इनके कामकाज को कौन-सी कमियां बाधित करती हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

SHG federations have emerged as an important institutional innovation to sustain SHGs in India. Discuss. What inadequacies hamper their functioning? (Answer in 150 words) 10

SHG समान हित वाले 15-20 लोगों का समूह है जो परस्पर बचत, ऋण आदि माध्यमों स्वावलम्ब व उद्यमशील कार्य करते है।

उदा० - केरल का कुडुम्बश्री मॉडल
- SEWA मॉडल

SHG संघ SHG को

अधिक शिक्षा
ऋण तक पहुँच
बेहतर बैंक लिंकेज
प्रशिक्षण

- सशक्त रूप
- सामूहिकता
- औपचारिकता
- व्यापक विस्तार
- विचार आदान प्रदान
- प्रोत्साहन
- वैधानिक व तकनीकी सहायता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आदि के माध्यम से मॉडल SHG बनाकर रोजगार उभारे है, जो SHG को सतत बनाने हेतु है।

उदा० – बिहार की 'जीविका' / 'उषा शक्ति'

– आज भारत में लाखों SHG है।

कामकाज में बाधक / कमियाँ :–

(1) 70% SHG महिला → समय न दे पाना ↳ काम का दोहरा बोझ

(2) अशिक्षा व उद्यमिता का निम्न स्तर

(3) समन्वय का अभाव व कामों का अतिव्यापन

(4) उत्पाद के लिए बाजार मिलना कठिन

(5) डिजिटल शिक्षा अभाव – ई-सखी पोर्टल लाइव लेकिन सीमित सफलता

(6) अतः: SHG को अधिक बौद्ध सुविधा प्राप्ति व प्रशिक्षण, ई-कॉमर्स से जोड़ा जाना चाहिए।

Q7. बार-बार स्थानांतरण भारत में उच्चतर सिविल सेवा की एक गंभीर समस्या है। सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोषों पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Frequent transfers are a pervasive problem among the higher civil service in India. Discuss the drawbacks associated with frequent transfers of civil servants and suggest reforms to overcome this issue. (Answer in 150 words) 10

सिविल सेवा को 'स्टील फ्रेम' माना गया है जो नीतिगत के उच्च नैतिक मूल्यों का पालन संविधान की आत्मा को जमीनी रूप देते हैं

उदा० - उड़ीसा के बालांगीर जिला प्रशासन की स्वीकृति योजना जो LGBTQ+ समुदाय को समाज से जोड़ती है

लेकिन बार-बार स्थानांतरण अनेक कार्यों सहित संपूर्ण लोकतांत्रिक उद्देश्य को बाधित करते हैं

बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोष :-

(1) भ्रष्टाचार के संरक्षण व सिविल सेवक को सजा के रूप में → Ex - अशोक खेमका

② डॉसकर से परेशान / सिविल सेवक समझौतावादी होना → भ्रष्टाचार बढ़ना

③ निष्पक्षता, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता के मूल्य पर चोट।

④ डॉसकर की मानक प्रक्रिया का अभाव
↳ राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ना
↓
फलत: या तो काम ही नहीं ~~करने~~ देगे या भ्रष्टाचार व पक्षपात होना होगा।

सुझाव :— ① प्रशिक्षण के समय दृढ़ता के मूल्य का समावेश

② डॉसकर के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपवाद सहित SOP बने।

③ उच्च स्तर (सेक्रेटरी, DSP) के लिए नियत कार्यकाल हो।

④ राजनीति में सुधार हो ⑤ [illegible] द्वारा [illegible]

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. प्रमुख खाद्य उत्पादक होने और व्यापक पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत कुपोषण के संकट से क्यों जूझ रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite being a major food producer and implementing extensive nutrition programmes, why does India continue to struggle with the malnutrition crisis? (Answer in 150 words) 10

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 'सीरियस' श्रेणी में शामिल है, जो हरित क्रांति के बाद नेट निर्यातक (खाद्यान्न) व विस्तृत पोषण अभियान पर प्रश्न पैदा करता है

इसके बाद भी भारत में 29.2% की स्टंटिंग व 21% की अल्पवृद्धि मौजूद है

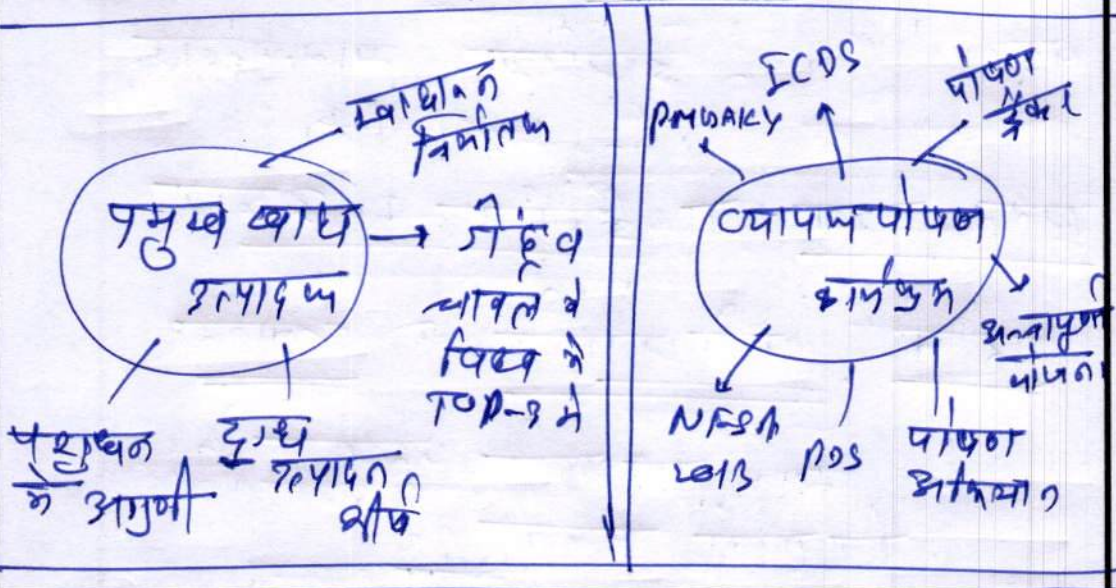

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारण :—

शांता कुमार समिति NFSA में 40% लिकेज

① पोषण कार्यक्रमों में रिसाव - इन्क्लूजन व एक्सक्लूजन संबंधी गलतियाँ।

② मात्र खाद्यान्न वितरण केंद्रित न कि वास्तविक पोषण -

↳ छद्म भूख या सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव पर ध्यान नहीं।

③ खाद्य की गुणवत्ता कम व बीमारियाँ बढ़ना। Ex - डायरिया, मालन्यूट्रीशन, food पॉइजनिंग।

④ सतत पोषण व ट्रैकिंग का अभाव

⑤ गरीबी, बेरोजगारी व अज्ञानता

↳ मात्र सरकारी सहयोग से निवारण संभव नहीं।

फलतः बहुसंगीय हस्तक्षेप (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण) की समन्वित रणनीति व सतत जाँच व सुधार के लिए GPS, AI, DBT का प्रयोग अपेक्षित होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q9. "ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, भले ही इससे पश्चिम को असुविधा हो।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, स्पष्ट कीजिए कि ईरान के साथ संबंध जारी रखना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"India's close engagements with Iran would continue even if it may cause discomfort with the West." In the light of the above statement, explain why maintaining a relationship with Iran is significant for India. (Answer in 150 words) 10

हाल ही के दौर में ~~इंसान~~ पश्चिम एशिया मे बदलती राजनीति ने ईरान के साथ भारतीय संबंधो पर पश्चिम मे सवाल पैदा किये हैं

ईरान के साथ जारी घनिष्ठ संबंध

- सऊदी-ईरान प्रतिद्वंदता
- अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भी Oil आयात
- ~~करेंसी स्वैप~~ समझौता
- SCO
- चाबहार मे निवेश
- BRICS+ मे समावेश
- IPI पाइपलाइन

ईरान के साथ संबंध जारी रखना महत्वपूर्ण :-

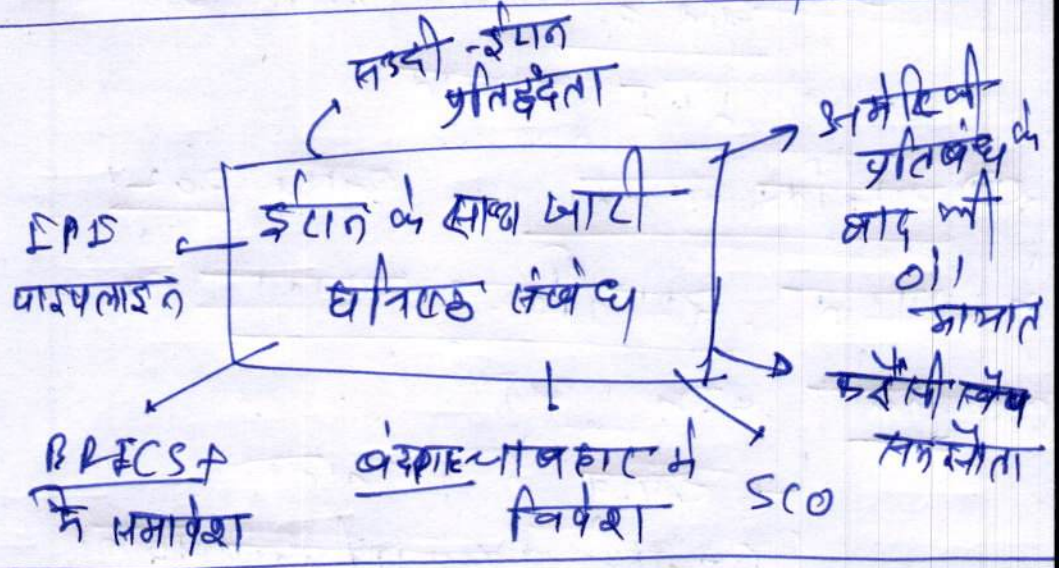

① भारत का चाबहार मे निवेश व अफगानिस्तान सहित, मध्य पूर्व व यूरोप मे पहुँच का मार्ग (व्यापारिक व आर्थिक हित)

② भू-राजनीतिक हित :- ईरान की भारत से दूरी स्थित : ईरान-चीन से नजदीकी बढ़ती है।

उदा० - नये गठबंधन

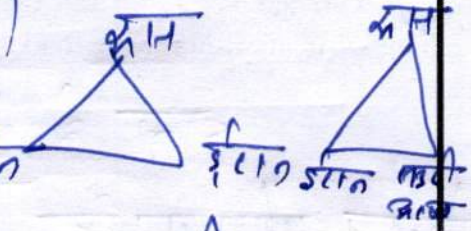

③ पश्चिम एशिया से ऊर्जा सुरक्षा की सततता व ऊर्जा विविधीकरण के लिए।
↳ सस्ते तेल की आयात प्राप्ति
↳ IPE प्रोजेक्ट

④ रणनीतिक स्वायत्तता - आज 2019 में भारत रणनीतिक स्वायत्तता के लिए कठोर कदम जरूरी।
↳ दबाव में न आना
↳ अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना
↳ वैश्विक नेता बनना
↳ दक्षिण-दक्षिण सहयोग

अतः यद्यपि होती आलोचनाओं से ईरान मामले की चिंता जरूर है लेकिन भारत को अपने राष्ट्रहितों के अनुरूप रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को प्रभावी तरीके से कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते (BPTA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the India-China Border Peace and Tranquility Agreement (BPTA) in effectively diffusing border tensions between India and China. (Answer in 150 words) 10

डोकलाम सहित लद्दाख व पूर्वी घाटी में हाल ही के वर्षों भारत-चीन तनाव सीमा विवाद व तनाव को बढ़ाता है।

भारत-चीन सीमा ⊜ ← तनाव क्षेत्र

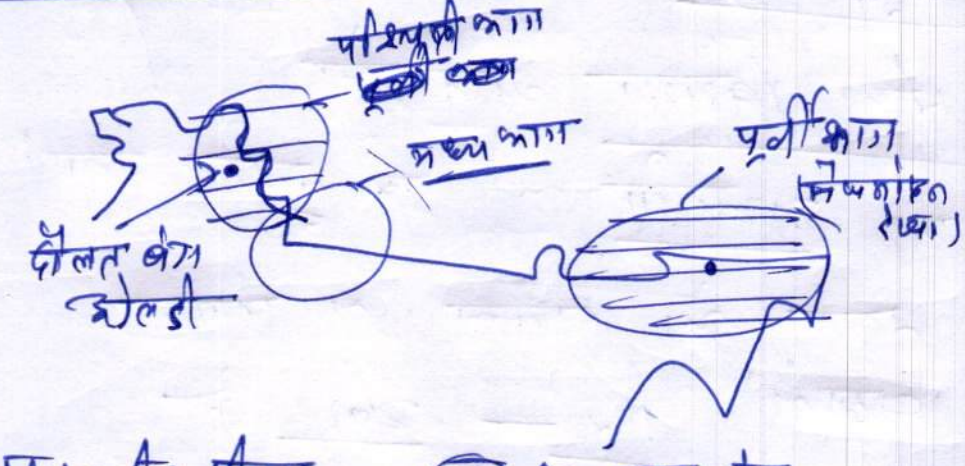

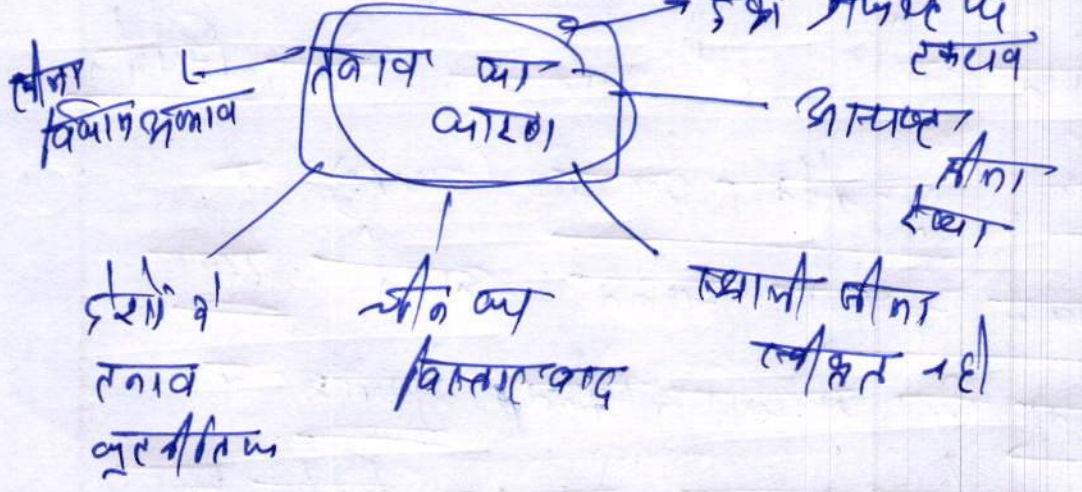

भारत चीन सीमा शांति व स्थिरता
समझौता की भूमिका :—

① विश्वास बहाली उपायों को महत्व मिलना
② कमाण्डर लेवल की वार्ता होना
③ ब्रह्मपुत्र सहित नदियों के डेटा साझा करना
④ सीमा विवाद क्षेत्रों की या अभ्यासों की पूर्व सूचना देना।
⑤ तनाव को रोकना व संवाद बढ़ाना। 1992 — 2022 से

यद्यपि ये समझौता पर्याप्त नहीं है भारत को द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक दबाव (QUAD) व वैश्विक सहयोग सहित अपनी रक्षा क्षमता को, पारंपरिक सहित ग्रेजोन व हाइब्रिड वारफेयर लेवल तक विकसित करना चाहिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. आपकी राय में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने से भारत में समग्र शासन को किस हद तक बढ़ावा मिल सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent, in your opinion, can holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies augment overall governance in India? (Answer in 250 words) 15

रामनाथ कोविंद समिति व विधि आयोग ने देश के एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा करते हुए इसे शासन व्यवस्था की प्रभाविता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

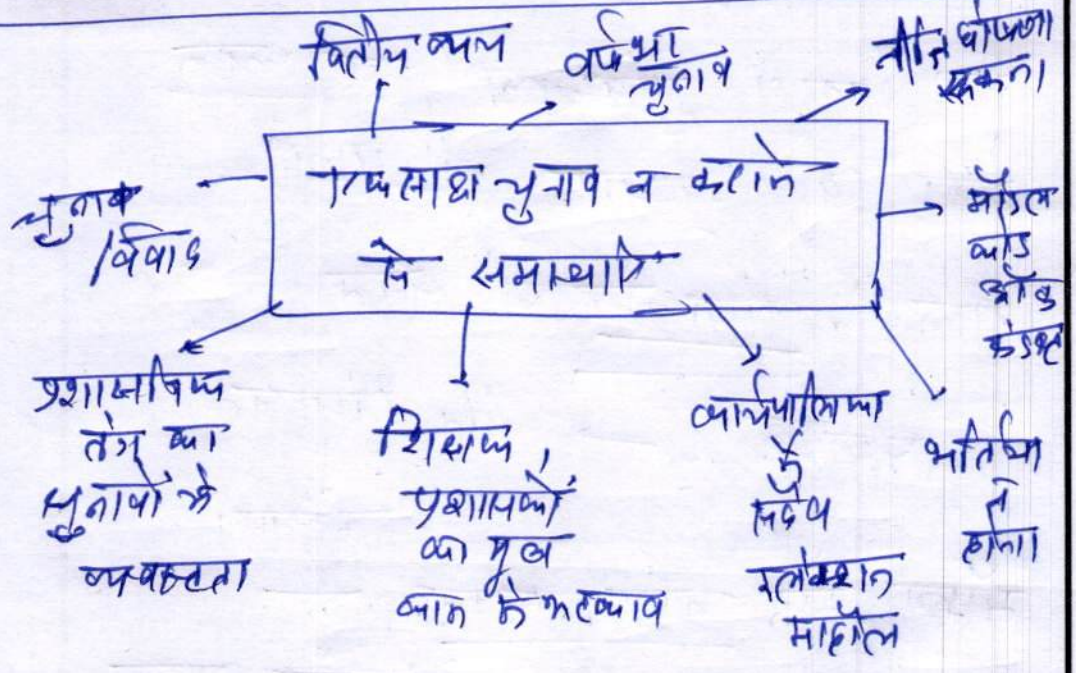

एक साथ चुनावों से समग्र शासन में बदलाव :-

(1) प्रशासन का मूल कार्यों में रहना

उदा० - पटवारी का स्वामित्व जैसी योजनाओं में काम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) दीर्घावधि की सेवा संबंधी नीतियों का बाधारहित संचालन।

(3) राजनीतिक दलों को समय व कार्यपालिका का काम पर फोकस कर पाना।

Ex. प्रगति पोर्टल पर कार्य प्रगति की जाँच।

(4) सेवा वितरण सुविधाओं पर ध्यान देना व सुधार कर पाना।

(5) राज्य के संसाधनों की बचत

संसाधन → नीति निर्माण
↓
कल्याण।

(6) मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साल भर न लगे रहने से शासन की सततता

(7) सत्ता का स्थायित्व
→ अपनी शासन सुधार कार्यक्रम पर ध्यान दे पाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) जनता को 5 साल बाद बेहतर जवाबदेहिता
प्रभावित → बार-बार चुनाव (लोगों को विकल्प का बहाना करते हैं)

संभावित आधार शासन में:

- संघवाद के मूल्य के विरुद्ध
  - मुद्दों का समांगीकरण
    - तानाशाही का डर
- राज्यों के अविश्वास प्रस्ताव या दल बदल से पता मिलना
  - पुन: चुनाव → शासन ठप्प होना
- बार-बार चुनाव महंगा व शासन का खेल व बेलगाम

फलत: कोविंद समिति की सिफारिशों की वैधानिक, संवैधानिक व आपात/आकस्मात दशाओं में परीक्षण कर आगे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indian Constitution is a living document that has evolved with time to reflect the changing needs and aspirations of the society. Comment. (Answer in 250 words) 15

भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बताया है जिसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद में किया है। इसका तात्पर्य है बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव, परिवर्तन, जोड़ना, संशोधन हो सकता है।

जीवंत बनाने के माध्यम
- PIL
- अनु 21, 14, 19
- अनु 32
- संसद द्वारा
  - साधारण
  - विशेष संशोधन (AA 368)
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या
- सिविल सोसायटी
  - वैश्विक माहौल से डरना

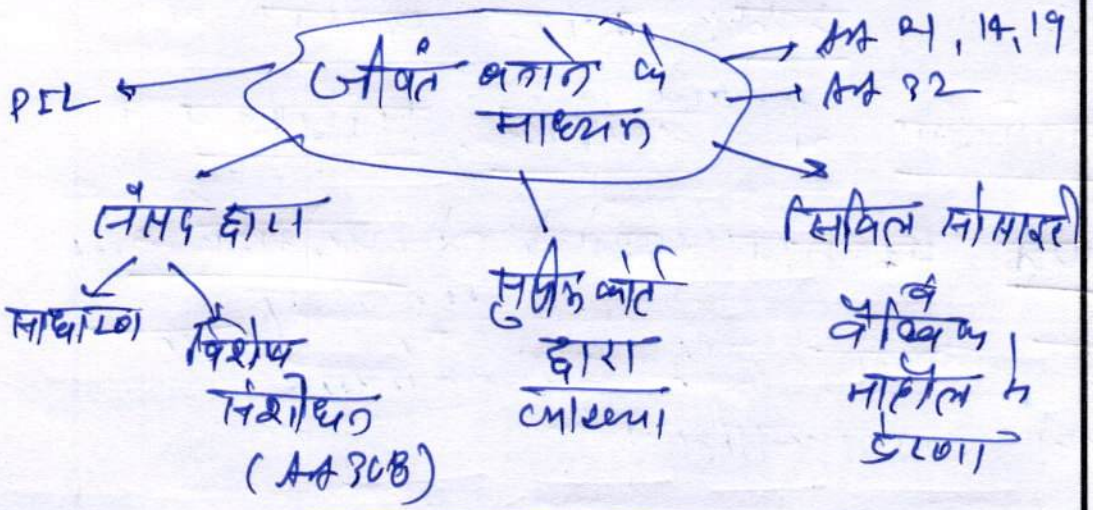

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के प्रतिबिंब प्रमाण

① भूमि सुधार व सामाजिक न्याय के
पहला संविधान संशोधन व 9वीं अनुसूची जोड़ना।

② अनु 40 की भावनानुरूप 73वां व 74वां
संविधान संशोधन 1993:
- पंचायती राज तंत्र
- शहरी स्थानीय स्वशासन

② 42 वां संविधान संशोधन 1976 को 'मिनी संविधान' कहा जाता है जिसमें लगभग हर भाग में बदलाव हुए
- प्रशा० न्यायाधिकरण (अनु 323A, 323B)
- प्रस्तावना में अखण्डता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद
- मूल कर्तव्यों का समावेश (अनु 51A)

③ 44 वां संविधान संशोधन ने पुन: आपातकाल पर प्रतिबंध व शर्तें लगाईं

(7) सूचना के अधिकार व शिक्षा के अधिकार (Art 21A) की स्थापना।

(8) EWS आरक्षण का प्रावधान।
↳ 15(6), 16(6) अनुच्छेद जुड़े

(9) NCBC की स्थापना

(5) महिला आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए 106 वां संविधान संशोधन विधेयक

(8) पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिए न्यायिक व्याख्यायें।

(10) नालसा वाद में LGBTQ+ को थर्ड जेंडर की मान्यता

अतः भारतीय संविधान की जीवंतता को सतत बनाये रखना चाहिए जिसके लिए संविधान की मूल भावना का सम्मान जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में विद्यमान कमियां विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How do the deficiencies in the Indian criminal justice system impact the human rights of undertrial prisoners? What reforms are necessary to address these deficiencies? (Answer in 250 words) 15

भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक 134% कैदी जिसमें लगभग 76% विचाराधीन कैदी है। (NCRB)

विचाराधीन कैदी वह आरोपित है जिसके दोषी या निर्दोष होने पर विचार चल रहा है।

इस दुर्दशा का कारण भारत की खराब आपराधिक न्याय प्रणाली है।

- कानूनों की अस्पष्टता
- फॉरेंसिक जाँच ढाँचा अभाव
- न्यायालयों में 4.3 करोड़ ज्यादा लंबित मामले
  - ↳ सुनवाई का रुक न जाना
- जजों की नियुक्ति में देरी
- कानून तक पहुँच का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकार पर प्रभाव :—

① बिना अपराध के जेल /सजा
② कम अपराध के लिए अधिक सजा
③ मानसिक तनाव
④ व्यक्तिगत व पारिवारिक कलंक व विघटन → निजता उल्लंघन
⑤ क्षतिपूर्ति का अभाव
⑥ आजीविका सह सहित आत्महत्या जैसी घटनाएं बनना।

कमियों को दूर करने के लिए सुझाव :—

① वैकल्पिक विवाद निपटान को सशक्तता व बाध्यता मूलक बनाना
② e-विवाद व e-आपराधिक जाँच प्रणाली को बढ़ावा।
③ पुलिस बल को काउंसलिंग विभाग से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रशिक्षण व तकनीकी तक उपलब्धता

(5) समयबद्धता पूर्ण जाँच व कार्यवाही

(6) जजों की परिपूर्ण नियुक्तियाँ

(6) विचाराधीन कैदियों को रिहा करना

↳ जो अपनी सजा का 1/3 सजा काट चुका है

↳ व्यवहार ठीक हो

(7) क्षमता निर्माण, वित्त आवंटन, आदि

(8) साक्ष्यों का डिजिटलीकरण

Ex → e-साक्ष्य

भारत साक्ष्य अधि. 2023 — ○ — मलिमथ समिति

भारतीय न्याय संहिता 2023

प्रभावी तरीके से पर्याप्त कानूनों को प्रयासों के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पाया है? इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशंस (GANHRI) से मान्यता प्राप्त करने से रोकने के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Why has the National Human Rights Commission (NHRC) not been able to effectively carry out its role as the watchdog of human rights in India? What are the reasons that have prevented it from getting accreditation from the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)? (Answer in 250 words) 15

GANHRI द्वारा लगातार दूसरी बार NHRC को मान्यता प्रमाण प्रदान नहीं किया गया है।

NHRC का 'दंतविहीन बाघ' होने के रूप में आलोचना व लंबित लाखों मामले इसकी अप्रभाविता को संकेतित करते हैं।

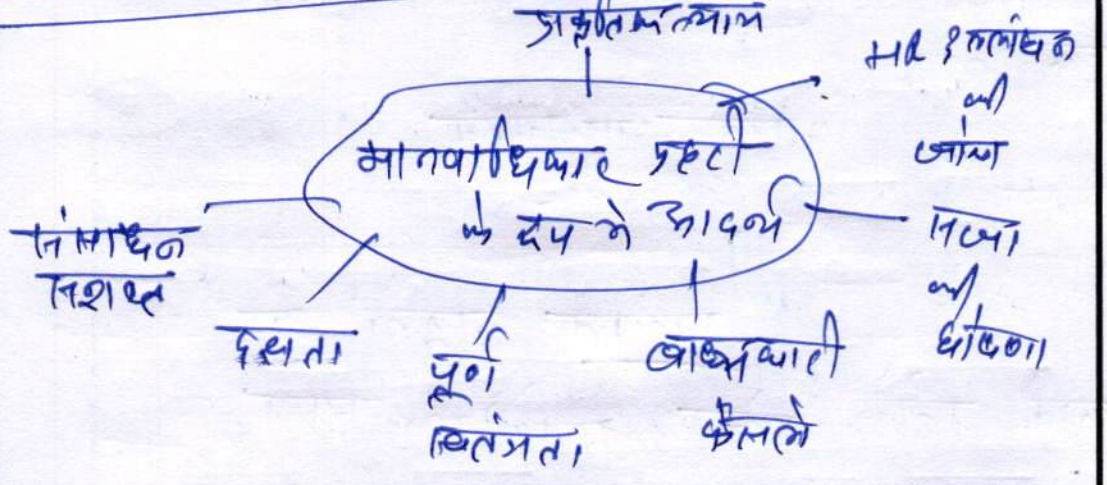

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रभावी निर्वाह नहीं कर पाया क्योंकि :—

① नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप व मात्र रिटायर्ड नौकरशाही का आगमन

② मामलों / HR उल्लंघन का राजनीतिकरण
↳ छोड़ देना

③ वास्तविक स्वायत्ता का अभाव :
Ex – स्वयं का काडर न होना
– वित्त के लिए सरकार पर निर्भर

④ बाध्यकारी फैसले देने की शक्ति नहीं
↳ फैसलों की अनदेखी होना

⑤ विलंबित कार्यवाही → वर्षों लगना

⑥ 1 साल से पुराने मामलों की जाँच नहीं कर पाना।

⑦ दक्षता, क्षमता, तकनीकी का अभाव

GANHRI द्वारा मान्यता न देने के कारण :

GANHARI के अनुसार भारत का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

NHRC

① विविधता रहित — महिला सहित सम्बंध वर्ग न होना

② राजनीतिक हस्तक्षेप प्रभावित नियुक्ति में —

③ स्वायत्ता का अभाव

सुझाव: —

① सिविल कोर्ट की शक्तियों को सशक्त बनाना

② नियुक्ति के लिए समिति में न्यायपालिका का समावेश

③ योग्य व्यक्ति का वास्तविक चयन हो।

④ महिला आयोग, बाल आयोग, दिव्यांग सहित सभी सम्बंध वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

⑤ समन्वय द्वारा कार्यों में दोहराव से बचें।

फलत: NHRC को 'दंतहीन बाघ' से शक्तियुक्त निकाय बनाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the background and key provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. List the implementation challenges that the Act faces. What measures can improve its effectiveness? Refer to Supreme Court judgments in this regard. (Answer in 250 words) 15

भंवरी देवी केस में 1997 के विशाखा दिशा निर्देशों के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला ही 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) एक्ट 2013' [POSH एक्ट] का आधार बना।

प्रमुख प्रावधान : —

1) आंतरिक जाँच समिति की अनिवार्यता
(ICC) → महिला अध्यक्ष हो या वरिष्ठ सदस्य
→ शिकायत की प्राप्ति
→ समयबद्ध जाँच

2) ICC के विरुद्ध स्थानीय जाँच समिति में शिकायत — समयबद्धता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SHE BOX की स्थापना।

(4) स्पेशल कोर्ट की स्थापना।

(5) लैंगिक उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा

- रेप
- अश्लील साहित्य दिखाना
- सेक्सुअल दुर्भावी केवल

(6) समयबद्ध कार्यवाही

(7) Head of the office की जिम्मेदारी है कि महिला अनुकूल माहौल कार्यालय मे हो।

पृष्ठभूमि नहीं है फिर —

- उत्पादकता
- महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षा
- कार्यबल मे भागीदारी प्रदान
- शोषण रोकना
- समानता

अधिनियम के क्रियान्वयन मे चुनौतियाँ :-

(1) कलंक का भय - शिकायत न करना

(2) CAG व महिला विकास संसदीय समिति की रिपोर्ट → आंतरिक शिकायत समिति

की स्थापना ही सही मायनों में न होना।

3) समझौते का दबाव बनाना

4) महिला के विरुद्ध पूर्वाग्रह व घृणा बढ़ना।

5) समय पर कार्यवाही न होना।

6) कानून का दुरुपयोग भी हुआ है
   └ दोषसिद्धि की न्यून दर

प्रभावशीलता के लिए उपाय :—

(i) शोषण व उत्पीड़न की परिभाषाओं में स्पष्टता

2) प्रारंभिक स्तर पर ICC की स्थापना अनिवार्य हो।
   └ समय पर शिकायत जांच न करने पर दण्ड की व्यवस्था

3) पीड़ित महिला को त्वरित नियुक्ति व सुरक्षित माहौल में स्थानांतरण

4) अधिकारियों को प्रशिक्षण, वर्कशॉप

5) दुरुपयोग रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था हो।

अतः कोर्ट की टिप्पणीयों व जांच आयोग गठित कर इसको पुनः सुदृढ़ करने हेतु सुधार हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q16. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें दी गई शक्तियां वापस ले ली जानी चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

With issues of prejudice and partisanship associated with Speakers of State Legislative Assemblies, should the powers under the anti-defection law be taken away from their hands? (Answer in 250 words) 15

केशाम-चंद्र पाई (मणिपुर) मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलबदल के संबंध मे शक्ति अध्यक्ष की बजाय किसी स्थायी अधिकरण को दी जानी चाहिए।

हाल ही मे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, मेघालय सहित कई राज्यों के राज्यविधान सभा अध्यक्ष पर पक्षपात के आरोप लगे है

दलबदल विरोधी कानून (52 वां संविधान संशोधन 1985) द्वारा किसी सदस्य को दल बदल की निरर्हता के संबंध मे अंतिम व पूर्ण शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पीठासीन अधिकारी (राज्य विधान सभा अध्यक्ष का)

→ किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना
→ मामलों की गहन समझ की दक्षता न होना
→ निजी मुल्यों के प्रभाव व दुरुपयोग की संभावना

आदि कारणों की

परिणति पर रही थी संविधान समीक्षा आयोग ने भी इस शक्ति को चुनाव आयोग के माध्यम से राष्ट्रपति / राज्यपाल को देने को कहा।

शक्तियों वापस प्रणीत : कैसे को बचाए :—

(i) विधानसभा अध्यक्ष पद को UK (ब्रिटेन) की तरह राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) गबल सदन पूर्ण शक्ति की बजाए विधानसभा अध्यक्ष के साथ बहुसदस्यीय अधिकरण बनाया जा सकता है।
→ जिसमें मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधि हो, लोकसभा अध्यक्ष प्रतिनिधि आदि → जो बहुमत से फैसला ले।

(3) दलबदल को कठोर व विसंगतियों रहित बनाना जाने
→ MP/MLA की जनप्रतिनिधि के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी व दलीय अनुशासन में अंतर
→ दल बदल पर राजनीतिक दलों की जवाबदेहिता आदि

फलत: बहुआयामी सुधार व शक्ति का विकेंद्रीकरण समस्या समाधान हो सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. हाल ही में, यू.जी.सी. ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियम जारी किए हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के प्रवेश को अनुमति देने के कारणों की विवेचना कीजिए। उनके सुचारू प्रवेश को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the UGC released regulations for establishment and operation of campuses by foreign universities in India. Discuss the reasons for allowing the entry of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India. What are the major obstacles in ensuring their smooth entry? (Answer in 250 words) 15

भारत की शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप UGC द्वारा हाल ही में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEI) को प्रवेश की अनुमति के नियम बनाये है।

अनुमति के कारण : —

1. शिक्षा नीति 2020 की उच्च शिक्षा का स्वप्न
2. शिक्षा का वैश्विक मानक अनुकूल बनाना।
3. छात्र भारतीय उच्च शिक्षा गुणवत्ता व R&D का स्तर सुधारना

Ex — इन कॉलेजों मे पढने वाले

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विद्यार्थी मूल विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करेंगे। (oxford university)

④ शिक्षित भारतीयों की नियोजनीयता बढ़ाना।
↳ वर्तमान भारत में यह दर 50.4% (50.4%) के आस पास मात्र है।

⑤ उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता को सुधारना
↳ भारतीय कॉलेजों को TOP रैंक विश्वविद्यालयों में लाना।

⑥ भारत को 'Brain gain' का हब बनाना।
↳ 'Brain Drain' को रोकना।

सुधार क्षेत्र में बाधाएँ :-

① अतिविनियमन का संकट — UGC / शिक्षा मंत्रालय / राज्यस्तर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) जमीन उपलब्धता की समस्या
↳ जमीन अधिग्रहण कानून 2013 की जटिलता → कोर्ट केस

(3) निवेश व स्पोंसरशिप का संकट → नई नीति है फलतः अविश्वसनीयता।

(4) स्थानीय प्रतिस्पर्धा →

(5) वैश्विकस्तरीय रैंकिंग व माहौल का अभाव।
Ex - भारत TOP-10 मार्केट तुलना देशों में है।

(6) जटिल डेटा कानून आदि।

"उच्च शिक्षा बोर्ड"

सुझाव
- PPP
- देशों से विपरीत सहयोग ↳ oxford युनि.
- सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा
- HEFA का सशक्त प्रयोग
- [illegible] प्रोत्साहन

फलतः उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का वैश्विकस्तर भारत को ज्ञान कोष व 2047 तक विकसित बनायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) achieved its core objectives? (Answer in 250 words) 15

अनुच्छेद 21 सहित जीवन के अधिकार की उदार व्याख्या को शामिल करता मनरेगा कानून 2005 से बाद आज भी जारी है।

मनरेगा के तहत ग्रामीण अकुशल (परिवार) व्यक्ति को 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान किया जाता है।

मूल उद्देश्य :
→ ग्रामीण स्थानीय रोजगार
→ पलायन रोकना
→ अवसंरचना विकास etc

मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता : —

① मॉडल योजना बनना → वैश्विक अध्ययन होना
② ग्रामीण व स्थानीय रोजगार में अच्छा प्रदर्शन होना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) 100 से 150 दिन का कार्य बढ़ाना

(4) गांवो मे असेट निर्माण
- → वर्षा जल संरक्षण इकाई बनाना
- → आपदा तैयारी व प्रबंधन की अवसंरचना बनाना

उदा० - जोहड़ी, चैक डैम, बाढ़ दीवार

(5) महिला सशक्तिकरण व ST वर्ग को काम
- → महिला रोजगार मिलना
- → 65% कार्य महिलाओं को

(6) गांवो की कृषि मे प्रदर्शन व रोजगार का माध्यम मिलना।

समस्याएँ :-

(1) मनरेगा मे उदासीनता

(2) नौकरशाही मे हेराफेरी
- → रिसाव
- → ST/SC को काम नहीं पर

(3) समय पर पैसा न मिलना
- → कम पैसा मिलना

(4) सरपंचो द्वारा निजी कार्य करवाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

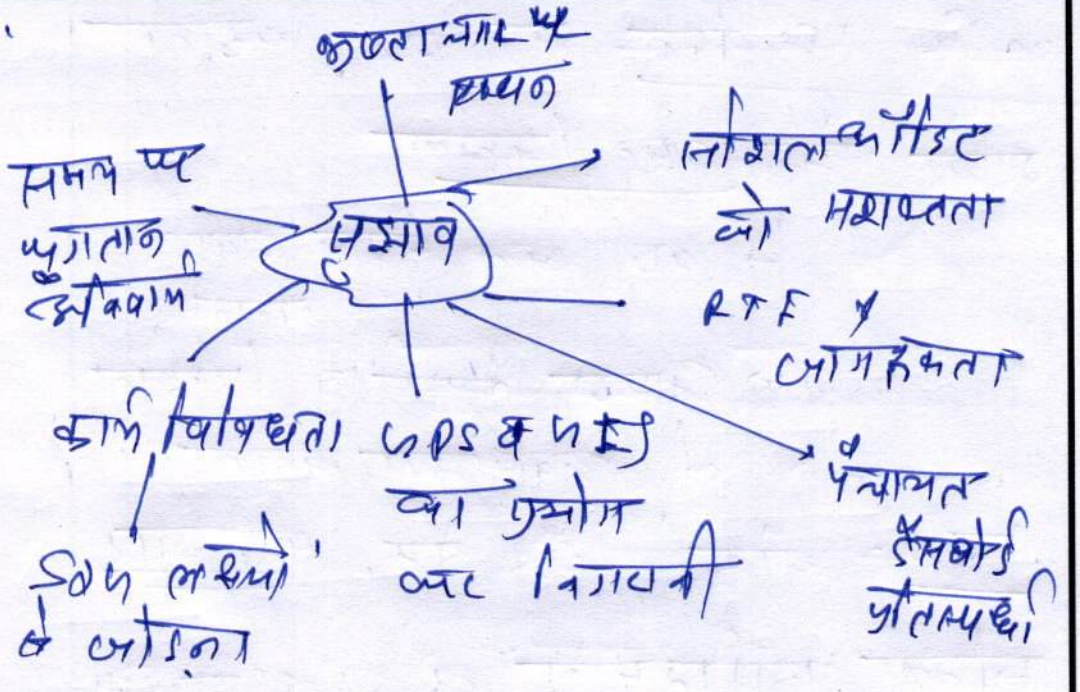

यह एक सफल योजना है जिसे अधिक व्यापक, पारदर्शी व सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q19. "बदलती हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी की सामरिक अवस्थिति को हिंद-प्रशांत की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में बिम्सटेक (BIMSTEC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"Changing geopolitical realities make the strategic location of the Bay of Bengal crucial to the wider concept of the Indo-Pacific." In the light of the above statement, discuss the role of the BIMSTEC in enhancing regional cooperation and promoting stability. (Answer in 250 words) 15

"अफ्रीका के पूर्वी तट से अमेरिका के पश्चिमी तट तक का क्षेत्र इंडो-पैसिफिक है।"

भारत के विदेश मंत्री का उपर्युक्त कथन सत्य : बंगाल की खाड़ी को इण्डो-पैसिफिक के पूर्ण हिस्से का महत्वपूर्ण स्थान साबित करता है

बिम्सटेक (BIMSTE)

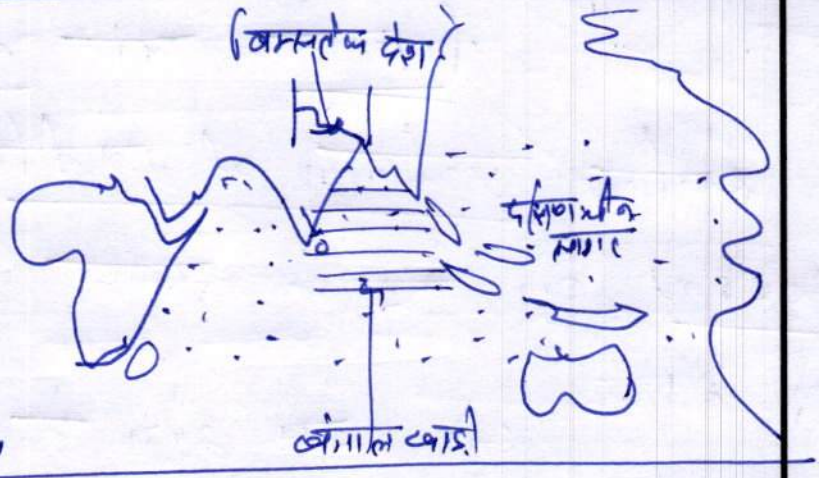

1997 में दक्षिण एशिया व दक्षिणपूर्व एशिया के देशों में व्यापार, प्रभाव व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक तथा तकनीकी विकास का। बंगाल की खाड़ी के इर्द-गिर्द देशों का गठबंधन है।

इण्डो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता QUAD, SQUAD, AUKUS सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK व EU के देशों की मुक्त, स्वतंत्र, विकसित इण्डो पैसिफिक के रूप रणनीति में देखी जा सकती है।

सिंगापुर का चार्टर व संतुलन प्रबंधन की रणनीति की ASEAN को केंद्र में रखकर बनाई गई है। जो इस क्षेत्र में चीन व अन्य शक्तियों के बढ़ते जिओपो तनाव को कम क्षेत्र में सहयोग व स्थिरता कायम कर सकती है।

बिम्सटेक की संभावनाएँ :

① क्षेत्रीय एकीकरण :

↳ इंडिया - थाईलैंड - म्यांमार मार्ग
↳ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट

② ASEAN के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना
↳ व्यापार, निवेश बढ़ना

③ पाकिस्तान जैसी सार्क की बाधा रहित माहौल → सभी सदस्य देशों से बेहतर संबंध।

④ BBIN समझौता, बिम्सटेक चार्टर की घोषणा।

तकनीकी ← → ऊर्जा
पर्यटन ← → व्यापार
→ संस्कृति
→ संवाद

⑤ क्षेत्र में शांति

फलतः बिम्सटेक को भारतीय '5-स' (सम्मान, समृद्धि, संवाद, संस्कृति, सहयोग) द्वारा आगे बढ़ना चाहिए

Q20. विवेचना कीजिए कि भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति किस प्रकार पड़ोस में इसके प्रभाव को सुदृढ़ करती है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss how India's expanding defence diplomacy strengthens its influence in the neighbourhood. (Answer in 250 words) 15

रक्षा कूटनीति से तात्पर्य रक्षा खोज, सेवा, रक्षा निर्यात का प्रयोग देश की रणनीतिक विकास में करने से है।

उदा० — चीन की स्पेस नीति

भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति

- रक्षा प्रदाता
- रक्षा निर्यात 2.82 बिलियन डॉलर
- रक्षा उत्पादन
- Def expo
- Def space mission
- हथियार, बख्तरबंद वाहन निर्यात
- फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात
- रक्षा विविधीकरण — USA रूस फ्रांस
- पड़ोसी में प्रभाव

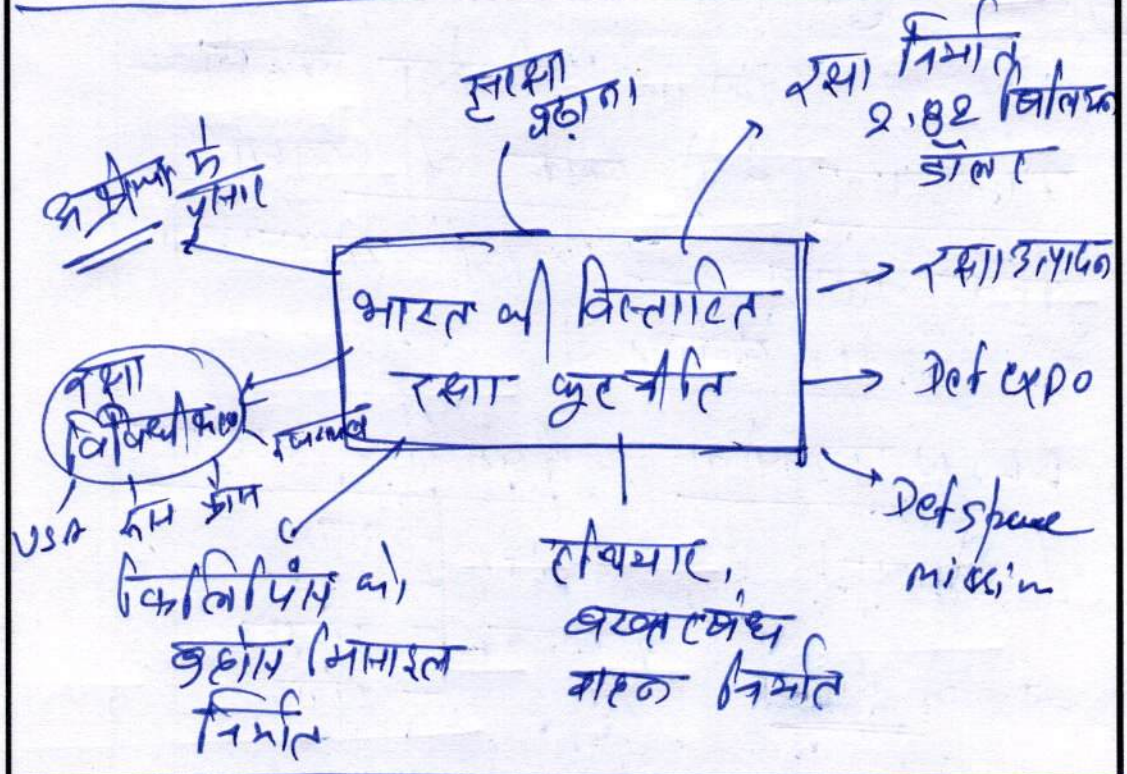

भारत के पड़ोस में मजबूती पैदा करती है :—

(1) आर्थिक सशक्तता → निर्यात से डॉलर प्राप्ति
→ व्यापार विविधता

③ पड़ोसी देशों को सहयोग
↳ आतंकवाद व अलगाववाद पर नियंत्रण
Ex - बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका

④ भारत की स्मार्ट पॉवर छवि का विस्तार → UNSC में भारत की सदस्यता को मजबूत दावेदारी

⑤ नेट सिक्युरिटी प्रोवाइडर की पहचान की स्थापना

⑥ चीन की तुलना में सस्ता, भरोसेमंद विकल्प प्रदान करना।

⑥ भारत की पड़ोस प्रथम नीति के साथ संतुलन।

⑦ अमेरिका के साथ भारत की QUAD में भागीदारी चीन की प्रसारवाद पर रोक।

⑧ भारत की समुद्री संप्रभुता की स्थापना

के समाधान में सहयोग।
Ex - मालदीव

(8) दक्षिणी चीन सागर पर

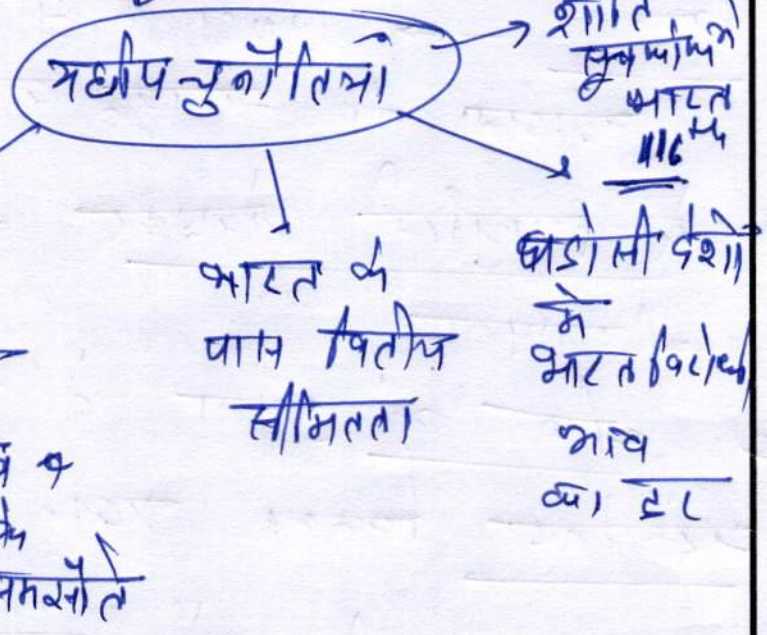

भारत की रक्षा सक्रियता
↓
प्रमुख चुनौतियाँ
→ शांति मुहिमों में भारत 116th
→ चीन की सशक्त मौजूदगी
Ex. मालदीव व नेपाल के साथ रक्षा समझौते
→ भारत के पास वित्तीय सीमितता
→ पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भाव का डर

भारत को अपनी सॉफ्ट व हार्ड पावर का निश्चित समायोजन चीन को संतुलित करने सहित देश के विकास व क्षेत्र विविधीकरण में करना चाहिए